


कार्यालय नजारत विभाग,  
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।  
दिनांक 02.09.2020

### सार्वजनिक सूचना

न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में वर्ष 2020-2021 की दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि के लिए कैंटीन, कोल्ड ड्रिंक, फोटोग्राफी, फ्रूट-चाट एवं फोटोस्टेट का ठेका छोड़े जाने हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2020 की सांय 04.00 बजे मुख्य न्यायालय भवन के भू तल पर स्थित सेंट्रल हॉल में नीलामी खुली बोली के द्वारा की जायेगी। ठेका न्यायालय भवन, गाजियाबाद के सामने कैंटीन, फ्रूट-चाट, कोल्ड ड्रिंक, फोटोग्राफी एवं फोटोस्टेट हेतु क्रमशः 50 X 14, 30 X 14, 40 X 14, 20 X 14 एवं 20 X 14 फीट के स्थान में संचालित किया जायेगा।

नीलामी सम्बन्धी शर्तें एवं अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नजारत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाताओं को प्रत्येक ठेके हेतु बोली लगाने से पूर्व अंकन 10,000/- (दस हजार) धरोहर धनराशि के रूप में जमा करानी होगी।

  
अध्यक्ष, नीलामि समिति /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या-1, गाजियाबाद।